भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या :1625
दिनांक 11 फरवरी , 2021 / 22 माघ,1942(शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ग्रीनफील्ड विमानपत्तन

1625. **श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:**
श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक स्वीकृत किए गए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना करने के लिए आपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले राज्य के नाम क्या है;

(ग) देश में ऐसे विमानपत्तनों की स्थापना करने के लिए तय किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस संबंध में तय किए गए वास्तविक लक्ष्यों और अब तक हासिल किए गए लक्ष्यों का ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(च) विलंब के कारण विभिन्न ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की लागत में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या गुणात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): पिछले तीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने गुजरात में हीरासर (राजकोट), अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी (इटानगर) और उत्तर प्रदेश में जेवर (नोएडा) में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख):पिछले तीन वर्ष के दौरान, हिमाचल प्रदेश में मंडी, राजस्थान में कोटा, उत्तराखंड में पंतनगर, केरल में कोट्टायम और कासरगोड़ नामक नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए 'साइट क्लियरेंस' के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग): ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति में देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए प्रक्रियाएं और शर्तें निर्धारित की गई हैं। नीति के अनुसार, यदि कोई विकासकर्ता, जिनमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं, किसी हवाईअंड्डे को विकसित करने का इच्छुक है, तो उनसे एक उपयुक्त स्थल की पहचान करके हवाईअड्डे के निर्माण के लिए व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन कराना और 'साइट क्लियरेंस' और 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

(घ) से (च): हवाईअड्डा परियोजना के कार्यान्वयन का दायित्व, जिसमें परियोजना का वित्तपोषण भी शामिल है, संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता और संबंधित राज्य सरकार (यदि परियोजना प्रस्तावक राज्य सरकार हो) का होता है। पिछले तीन वर्ष के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने स्वयं के संसाधनों से क्रमश: 646 करोड़ रुपए और 1405 करोड़ रुपए की मूल परियोजना लागतों से होलोंगी और हीरासर हवाईअड्डों का विकास कार्य हाथ में लिया है, और दोनों परियोजनाओं के पूरा होने संभावित तारीख (पीडीसी) दिसंबर 2022 में है। तथापि, हवाईअड्डा परियोजनाओं के पूरा होने की समयरेखा भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य अनापत्तियों की उपलब्धता, वित्तीय क्लोजर आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है।